राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(272) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20बी   जयपुर, दिनांक : 20.07.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.6(272)परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20ए, दिनांक 14.02.2005, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके नीचे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं.1 में विनिर्दिष्ट उप–नगरीय मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाडियों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विहित करती है:–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1.	2.
उपनगरीय मार्गो पर अनन्य रुप से चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 तक की सीट क्षमता वाली यदि	
(क) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.73%
(ख) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.53%
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाली यदि	
(1) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	
(क) साधारण	चैसिस की लागत का 0.73%
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 0.37%

(2) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो	
(क) साधारण	यान की लागत का 0.50%
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 0.25%

परन्तु –

(1) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से, मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा;

(2) इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी।

स्पष्टीकरण :–

(i) कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है।

(ii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान से भिन्न'' से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14 में डीलक्स प्रवर्ग के लिए विहित विनिर्देश रखने वाले यान और पर्यटक परमिटों के विनिर्देश रखने वाले यान अभिप्रेत हैं।

(iii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से ऐसा यान अभिप्रेत है जो ''साधारण यान से भिन्न'' नही है।

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार यादव)
शासन उप सचिव

क्रमांक : एफ.6 (272) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20बी   जयपुर, दिनांक : 20.07.2006

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.07.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव, मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात) ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त ।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त ।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा—II, राजस्थान सरकार।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

No.F6.(272)/Pari/Tax/Hqrs/2004/20 B   Jaipur, Dated : 20.07.2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's Notification No.F6.(272)/Pari/Tax/Hqrs/2004/20A, dated 14.02.2005, the State Government hereby, with immediate effect prescribes the rate of **special road tax** on **stage carriages plying exclusively on sub-urban routes** specified in Col. No. 1 of the table appended here-in-below at the rates specified against each in Col. No. 2 thereof :-

TABLE

Description of Transport Vehicle	**Monthly rate of special road tax**
1	**2**
Stage carriage plying exclusively on sub-urban routes	
(i) Having seating capacity upto 25 excluding driver & conductor if;	
(a) Purchased as chassis	0.73% of the cost of the chassis
(b) Purchased with a complete body	0.53% of the cost of the vehicle
(ii) Having seating capacity more than 25 excluding driver and conductor if;	
(1) Purchased as a chassis	
(a) Ordinary	0.73% of the cost of the chassis
(b) Other than ordinary	0.37% of the cost of the chassis
(2) Purchased with a complete body	
(a) Ordinary	0.50% of the cost of the vehicle
(b) Other than ordinary	0.25% of the cost of the vehicle

Provided that :-

(1) In case of vehicles obtaining the fresh permit, the tax shall be payable from the date of issue of permit on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit.

(3) In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor vehicle, any tax or penalty as was

payable under this Act for any period prior to the coming into force of this notification at such rates as were applicable to such vehicles from time to time.

Explanation:-

(i) The cost of the vehicle/chassis for computation of tax shall be as explained under rule 42 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951.

(ii) The expression "other than ordinary vehicle" for the purpose of rate of tax shall mean a vehicle having specifications prescribed for Deluxe category in rule 7.14 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and vehicles having specifications of Tourist Permits.

(iii) The expression "ordinary vehicle" for the purpose of rate of tax shall mean a vehicle which is not "other than ordinary vehicle".

By Order of the Governor

(Dinesh Kumar Yadav)
Deputy Secretary to Government

No.F6.(272)/Pari/Tax/Hqrs/2004/20 B   Jaipur, Dated : 20.07.2006

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 20-07-2006 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Secretary to the Chief Minister, Jaipur.
3. Private Secretary to the Transport Minister, Jaipur.
4. Private Secretary to the Additional Chief Secretary (Home & Transport), Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary Finance .
6. Private Secretary to Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General II, Rajasthan, Jaipur.
8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. Law (Codification), Department, Jaipur.
10. All Head Quarter Officers of Transport Department.
11. Shri Sanjay Singhal for updating departmental website.
12. All Regional/District Transport Officers.
13. All Incharge Tax Collection Centers of Transport Deparment.

Deputy Secretary to Government